



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2017/वैशाख 1, 1939

No. 1091]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2017/VAISAKHA 1, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

का.आ.1234(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के का.आ. 967(अ) दिनांक 27 मार्च, 2017 की अधिसूचना में "भूतपूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक" शब्द-समूह के स्थान पर "भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक" शब्द-समूह को प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 17(29)/2015-पीएल/एनजीटी (वाल्क्यूम- II)]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st April, 2017

S.O.1234(E).—In the notification of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, S.O. 967(E), dated the 27th March, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the set of words "former Additional Principal Chief Conservator of Forests" is substituted by "former Principal Chief Conservator of Forests".

[F. No.17(29)/2015-PL/NGT (Vol.II)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.